संख्या-1275/2025/152/22-2-2025-17(1058)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30 अक्टूबर, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टहल सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह, निवासी जनपद- शामली हाल निवासी जनपद-करनाल(हरियाणा) की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-705/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-31.12.2024), दिनांक 07.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टहल सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह, जो असारपुर, थाना-झिझाना, मुजफ्फरनगर हाल जिला-शामली हाल पता-पृथ्वी बिहार कालोनी पीर वाली गली नं0-2, थाना-कोतवाली नगर, जिला-करनाल (हरियाणा) का निवासी है। अभियोजन पक्ष हरभजन कौर के अनुसार करतार सिंह व शीशा सिंह के मध्य गांव में चल रही पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 14.07.1984 की रात्रि 12.00 बजे करतार सिंह ने अपने लड़को तथा अमरीक सिंह, टहल सिंह, कमीर सिंह, वीर सिंह व बलकार सिंह के साथ बन्दूक, तमंचा, कुल्हाड़ी, तलवार व लाठियों से लैस होकर एक साथ शीशा सिंह और मोहर सिंह के घर पर हमला कर दिया, जिसमें महिलाये व बच्चों सहित कुल 12 व्यक्तियों की हत्या की गयी एवं हरभजन कौर गम्भीर रूप से घायल हो गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-72/1985, भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 452, 148 में मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सख्या-03, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 18.04.1996 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.10.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत कर आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनाक 10.12.2013 द्वारा अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.07.2024 तक अपरिहार 21 वर्ष, 01 माह, 12 दिन तथा सपरिहार 24 वर्ष, 11 माह, 06 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, शामली, पुलिस अधीक्षक, करनाल एवं जिला मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से किये जाने वाला अपराध होने, बन्दी द्वारा अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध कारित करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में बन्दी द्वारा कारित अपराप की प्रकृति (12 व्यक्तियों की हत्या) एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी टहल सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टहल सिंह (बंदी संख्या-11606) पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह, निवासी जनपद-शामली हाल निवासी जनपद-करनाल(हरियाणा) के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-1275/2025/152(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शामली/करनाल(हरियाणा)।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1275/2025/152/22-2-2025-17(1058)/2019

दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टहल सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह, जो असारपुर, थाना-झिझाना, मुजफ्फरनगर हाल जिला-शामली हाल पता-पृथ्वी बिहार कालोनी पीर वाली गली नं0-2, थाना-कोतवाली नगर, जिला-करनाल (हरियाणा) का निवासी है। अभियोजन पक्ष हरभजन कौर के अनुसार करतार सिंह व शीशा सिंह के मध्य गांव में चल रही पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 14.07.1984 की रात्रि 12.00 बजे करतार सिंह ने अपने लड़को तथा अमरीक सिंह, टहल सिंह, कमीर सिंह, वीर सिंह व बलकार सिंह के साथ बन्दूक, तमंचा, कुल्हाड़ी, तलवार व लाठियों से लैस होकर एक साथ शीशा सिंह और मोहर सिंह के घर पर हमला कर दिया, जिसमें महिलाये व बच्चों सहित कुल 12 व्यक्तियों की हत्या की गयी एवं हरभजन कौर गम्भीर रूप से घायल हो गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-72/1985, भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 452, 148 में मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सख्या-03, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 18.04.1996 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.10.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत कर आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनाक 10.12.2013 द्वारा अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.07.2024 तक अपरिहार 21 वर्ष, 01 माह, 12 दिन तथा सपरिहार 24 वर्ष, 11 माह, 06 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, शामली, पुलिस अधीक्षक, करनाल एवं जिला मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से किये जाने वाला अपराध होने, बन्दी द्वारा अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध कारित करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में बन्दी द्वारा कारित अपराप की प्रकृति (12 व्यक्तियों की हत्या) एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जित्तके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी टहल सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in